न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

उनवान नारायणसिंह बनाम हनुमानसिंह

मुकदमा नं. 41/2024 दावा

| | | |
|---|---|---|
| 19/11/24 | पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की है। अधि. उभय पक्ष की सहमति से अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली में सकल अकरबा होकर नम्बर सिकमी है, हाबिल दफ्तर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। | अन्तिम डिक्री जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी पक्ष |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, सीकर